न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम अनिल गोदि

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 131-132 भू.रा.अ. 1956 मु.नं. 412 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
23/9/2025	तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1289 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 436, 438, 435, 429, 428, 432 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज हेतु प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रकरण को अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि रास्ता प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कुछ काश्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। अर्थात् शेष खातेदारों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी प्राप्त नहीं होने पर उक्त को नोटिस जारी किया जाना उचित है। अतः प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कोई आपत्ति/अपना पक्ष/साक्ष्य/दस्तावेजात आदि पेश करना हो तो, इस बाबत वाके ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 436, 438, 435, 429, 428, 432 के शेष सहखातेदारान को जरिये रजिस्टर्ड डाक/तहसीलदार से वास्ते तामील नोटिसेस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.10.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner